

9. स्कूल और बालावाड़ी भवन,
पंचायत घर, सामुदायिक
केन्द्र, जंगली जानवरों के
लिए पेय जल स्रोत, जानवरों
के लिए तालाब, पिजरापोल,
गौशालाएँ, सामुदायिक
मुर्गीपालन, सूअरपालन गृह,
नहाने और कपड़े धाने के
प्लेटफार्म आदि (संख्या)

(संख्या)

963

4978

2636

1948

10. अन्य कार्य

(संख्या)

2109

—

—

903

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के
अन्तर्गत राजस्थान में चुने गए परिवार

2122. श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या ग्रामीण
विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे
कि :

(क) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्य-
क्रम के अन्तर्गत राजस्थान में अब तक
कितने गरीब परिवारों को चुना गया है;

(ख) उनमें से अब तक कितने परि-
वारों को राज्य सरकार, केन्द्र सरकार,
राष्ट्रीयकृत बैंकों और सहकारी बैंकों आदि से
अनुदान दिए गए हैं ताकि वे गरीबी रेखा
पार कर सकें तथा उन्हें अनुदान की
कितनी राशि दी गई; और

(ग) इन चुने गए परिवारों ने कितनी
किश्तें और कितनी राशि वापस की है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री
(श्रीमती मोहसिना फिदवाई) : (क) और
(ख) राजस्थान सरकार ने सूचित किया
है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम
के अन्तर्गत अब तक लगभग 7 लाख परि-
वारों का चयन किया गया है और उनमें

से लगभग 5.52 लाख परिवारों को लाभ
पहुँचाया गया है। राज्य तथा केन्द्र सरकारों
द्वारा बराबर-बराबर के आधार पर उप-
लब्ध करायी गयी निधियों में से इन परि-
वारों को 6990.57 लाख रुपये की आर्थिक
सहायता दी गई तथा वाणिज्यिक और
सहकारी बैंकों द्वारा 10486.17 लाख रुपये
का ऋण दिया गया है।

(ग) चुने गये लाभार्थियों द्वारा वापस
की गई किस्त और धनराशि के बारे में
आंकड़े संकलित नहीं किये जा रहे हैं।

New Comprehensive Land Acquisition
Act

2123. SHRI A.K. ROY : Will
the Minister of RURAL DEVELOP-
MENT be pleased to state :

(a) whether there is assurance
to have a new comprehensive Land
Acquisition Act to give early justice
to the land losers ; and

(b) if so, the progress made in
this regard so far ?